बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार तिथि २२ मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

मनकट्ठा डिसटिलरी।

१९७। श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, श्रम विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत लक्खीसराय थाने के बालगुदर ग्राम में मनकट्ठा नामक एक डिसटिलरी है;

(ख) क्या यह बात सही है कि वहां एक मजदूर युनियन है जिसने डिसटिलरी के मालिकों से फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक मजदूरों की चन्द जायज शिकायतों को दूर करने की मांग की थी;

(ग) क्या यह बात सही है कि इस मांग पर मालिकों ने डिसटिलरी को बन्द कर दी, जिससे मजदूर बेकार हो गये;

(घ) क्या यह बात सही है कि मालिकों ने करीब दो महीने के बाद पुनः डिसटिलरी खोली और बाहर के दूसरे-दूसरे मजदूरों को बहाल किया;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इधर ध्यान देकर बेकार मजदूरों की समस्या हल करने और मिल मालिकों के इस नाजायज हरकत पर कार्रवाई करने का विचार करती है?

श्री वीरचन्द पटेल—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) श्रमिकों की मांग रविवार को काम, काम के घंटों फैक्टरी ऐक्ट, १९४८ तथा उसके अन्तर्गत बने नियम के विरुद्ध वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी तथा बोनस और बिना उचित सूचना दिये नौकरी से हटा देने के बारे में थी। श्रमिकों के इन शिकायतों की खबर सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर को कारखाने के भूतपूर्व कर्मचारी श्री बनारसी चौधरी ने ता० १२ नवम्बर, १९५३ को दी।

(ग) देशी शराब के बहुत इकट्ठा हो जाने से तथा गोदाम की सुविधा की कमी के कारण डिसिटलरी ता० २३ सितम्बर, १९५३ से बन्द हो गई।

(घ) डिसटिलरी ता० २३ सितम्बर, १९५३ को बन्द होकर ता० २० फरवरी, १९५४ को फिर से चालू हुई। यह सत्य है कि नियोजकों ने पुराने कर्मचारियों के अधिकारों की अवहेलना करके कुछ नये मजदूरों को बहाल कर लिया है।

(ङ) सरकारी कांसिलियेशन अफसर तथा सरकारी फैक्टरी इन्सपेक्टरों ने श्रमिकों की शिकायतों की आवश्यक जांच-पड़ताल करके अपनी-अपनी रिपोर्ट बिहार के श्रमायुक्त के पास भेज दी है। यह रिपोर्ट श्रमायुक्त के पास सक्रिय विचाराधीन है।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) यह बात सही है कि विक्रेता के हिसाब-किताब के बही-खाते को वाणिज्य-कर विभाग के मेधा शाखा द्वारा जब्त किया गया था। जप्ती के अधिकार को विक्रेता ने चैलेंज किया है और यह बात अभी सबजुडिस है। यह भी बात ठीक है कि जिस अधिकारी ने जप्ती की थी, उसने इसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट उस अधिकर्त्ता के सम्मुख दी है। अभी यह बात सबजुडिस है। किन्तु अभी चूंकी जप्ती की बात सबजुडिस है सरकार इसमें अपना कोई मत प्रगट करना उचित नहीं समझती।

(ख) खंड (क) के उत्तर में कहे गए बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस विषय में अभी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिकारियों की तबदिली केवल जनहित के कल्याण ही के विचार से किया जाता है।

(ग) इस विषय में मैंने जांच-पड़ताल की है। परन्तु ऊपर दिये गये कारणों से यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि कर की कोई चोरी हुई है अथवा नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुबोध नारायण यादव—१९५२-५३ के सम्बन्ध में कोई केस नहीं किया है।

क्या यह बात सही है कि इन्टेलिजेंस ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट को यह अधिकार था कि १९५२-५३ के सम्बन्ध में किसी कागज को जप्त कर लें?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अलग-अलग जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

श्री सुबोध नारायण यादव—यह पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात है, इससे लाखों रुपये का धक्का लगता है?

अध्यक्ष—इस प्रश्न को मैं नहीं मानता। अब इसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि यह विषय सबजुडीस है।

इन्टेलिजेंस ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट।

*१२२७। श्री सुबोध नारायण यादव—क्या मंत्री, वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) वाणिज्य कर विभाग के इन्टेलिजेंस ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट की जगह कैसे व्यक्ति के लिये है;

(ख) क्या उत्तरदायी पद के लिये तजुर्बेकार और विभाग की परीक्षाओं को पास किये हुए व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है;

(ग) क्या अभी जो अफसर इन्टेलिजेंस ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट की जगह पर काम कर रहे हैं उक्त पद के लिये सभी तरह से योग्य हैं;

(घ) क्या उनसे अधिक योग्य और तजुर्बेकार व्यक्ति प्रधान दफ्तर में मौजूद नहीं हैं जिन्हें यह जगह दी जाती?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) बिहार फाइनेन्स सर्विस औफिसर के लिये है।

(ख) तजुर्बेकार होना तो सर्वथा वांछनीय है परन्तु इस पद के लिये डिपार्टमेंटल परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) इस पद के योग्य कोई दूसरा ऑफिसर प्रधान दफ्तर में नहीं है।

श्री सुबोध नारायण यादव—क्या यह बात सही नहीं है कि श्री बनवारी लाल विभागीय परीक्षा पास हैं और वे अभी काम कर रहे हैं तथा उनको तजुर्बा भी है। लेकिन उनके रहते हुये दूसरे आदमी की बहाली क्यों हुई?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जो सबसे ज्यादा योग्य समझा जाता है उसी की बहाली की जाती है।

श्री सुबोध नारायण यादव—अभी जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वे क्या कन्फर्म्ड नहीं हैं?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—कन्फर्म्ड नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। जो योग्य समझा जाता है उसी की बहाली होती है।

श्री सुबोध नारायण यादव—क्या यह बात सही है कि उनको तजुर्बा नहीं है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छान-बीन करने वाले इन सब बातों को विचार करके ही बहाली करते हैं। उनको ज्यादा ध्यान रहता है।

श्री सुबोध नारायण यादव—बहाल करने वाले अफसरों का ध्यान ज्यादा रहता है इसका क्या सबूत है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—सबूत पेश करने की जरुरत नहीं है।

श्री सुबोध नारायण यादव—जब बहाली होती है तो उस विभाग में जो काम करने वाले होते हैं उनसे दरयाफ्त किया जाता है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—सभी बातों पर सोच विचार करके बहाली की जाती है।

श्री सुबोध नारायण यादव—उनको जो विशेष वेतन दिया गया है क्या वह पे वही है जो पहले के सुपरिंटेंडेंट को दिया जाता था?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—इसके लिये दूसरे प्रश्न की सूचना दें।

श्री सुबोध नारायण यादव—क्या यह बात सही है कि जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हैं वे अभी सुपरिंटेंडेंट का भी काम कर रहे हैं?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जरुरत पड़ने पर दो-दो काम शामिल करते आये हैं।

श्री सुबोध नारायण यादव—क्या यह बात सही है कि जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हैं उनको कोई काम नहीं है और वह पोस्ट बेकार है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—यह इतना जेनरल सवाल है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं।

Shri GIRIJANANDAN SINGH: Is it a fact that the acting officer incharge of the Intelligence Branch is an experienced officer?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: Yes, he is an experienced officer.

Shri GIRIJANANDAN SINGH: Is it a fact that the present incumbent due to his extraordinary talent, experience and past records is considered to be the most suitable officer for promotion to a higher rank?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: For promotion to higher rank, his name is under the consideration of Government.

PENSION RULES OF THE STATE GOVERNMENT.

*1228. **Shri RAMANAND TEWARI**: Will the Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the State Government have adopted the same Pensions Rules for their Government servants as applicable to the Government servants of the Government of India so far as the old and the new Pensions Rules are concerned, notwithstanding the fact that there has been difference in the pay scales;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, whether it is a fact that the Government of India have allowed 50 per cent of the dearness allowance to be counted as pay for purposes of pension and for other purposes also;

(*c*) if the answer to clause (*b*) be in the affirmative, do Government consider the desirability of passing similar orders, if not for all purposes, at least for the purposes of pension and gratuity so that there may be no discrimination in the matter of pension between the State Government servants and the Central Government servants, if not, why?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) The reply is in the affirmative. This concession is, however, limited to Central Government servants and in various pay groups up to a pay of Rs. 750 p.m.